योजना का नाम	**शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता (02 किश्तों में)**
लाभ	कुल रू0 12,000/-की धनराशि दी जाती है, जो दो किस्तों में दी जाती है (प्रथम किस्त रू0 8,000.00 एवं द्वितीय किस्त रू0 4,000.00)
पात्रता/लाभार्थी	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक

आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया

आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन के दौरान श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, बैंक खाता जो आधार से लिंक हो, शौचालय निर्माण संबंधी फोटो श्रमिक भी उस फोटो में उपस्थित हो तथा फोटो में शौचालय में पक्की दीवारें, लिंटर वाली छत, टैंक, पानी की व्यवस्था, सीट का लगा होना, भी आना चाहिए।

जिस जमीन पर शौचालय निर्माण किया है, उसका जमीन संबंधी दस्तावेज जैसे दाखिल खारिज/खतौनी/रजिस्ट्री आदि अथवा भूमि स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, संलग्न करने होंगे। किसी अन्य योजना से इसका लाभ न लिए जाने एवं अन्य विभाग में लाभ हेतु आवेदन न किये जाने का शपथ पत्र, लगाकर आवेदन करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने पर प्रथम किस्त का भुगतान खाते में किया जाता है तथा निर्माण पूर्ण होने के उपरांत 01 माह बाद पुनः दूसरी किस्त के लिए समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन करना पड़ता है तथा दूसरी किस्त रू0 4000/- भुगतान की जाती है।

16- पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों (परिवार को एक इकाई मानते हुए) को शौचालय के निर्माण हेतु रुपया 12 हजार की आर्थिक सहायता **(02 किश्तों में)**

शौचालय निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों को स्वहस्तलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा शौचालय निर्माण हेतु केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन चलाई जा रही किसी योजना के अन्तर्गत कोई सहायता प्राप्त न की गई है अथवा इस संबंध में किसी अन्य विभाग में आवेदन नही किया गया है।

12. पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों (परिवार को एक इकाई मानते हुए) को शौचालय के निर्माण हेतु रूपये 12 हजार की आर्थिक सहायता (02 किश्तों में) शौचालय निर्माण हेतु बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन देय होगी।